

एन.एच-91 के कि०मी० 9.0 से 19.0 (दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा, गाजियाबाद) तक मेट्रो रेल का निर्माण कार्य।


स्तम्भ संख्या 11 के निरीक्षण के सम्बन्ध में

दिनांक 2/12/2014 को वन भूमि प्रस्तावना प्रस्ताव में अंकित संरक्षित वन भूमि का निरीक्षण किया गया। स्थलीय एवं सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट से निम्न स्थिति स्पष्ट होती है-

स्तम्भ सं० 7वीं से 12 तक प्रस्तावित क्षेत्र में वनस्पतियां व/वा अन्य जन्तु सुप्त पर्याय प्रजातियों का उल्लेख नहीं पाया गया। साथ पुरातात्विक/सांस्कृतिक स्थल सम्बन्धित स्मारक क्षेत्र नहीं है।

स्तम्भ सं० 8- प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है वैकल्पिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं प्रस्तावित विभाग द्वारा भी प्रमाण पत्र दिया गया है तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

स्तम्भ सं० 9- वन संरक्षक अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
गाजियाबाद


प्रभासीव निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद